सेवा मे,

श्रीमान् निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान
कल्यानपुर कानपुर ।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना दिलाये जाने के सम्बन्ध मे:-

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम - गोपीनाथपुर पो॰ बरुआ उत्तरी, थाना - पीपरपुर, का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के गाँव के अच्छेलाल पुत्र सुखाई यादव दिनांक - 07/02/1990 ई॰ से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दाखिल करके नौकरी कर रहे है। के सम्बन्ध मे प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिन्दुओ पर सूचना दिलाये जाने के की कृपा करे।

1:- विभागीय जाँच के बाद अच्छेलाल के विरुद्ध चार्जशीट दे दी गयी है। किन्तु आज तक उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यो नही की गयी।

2:- अच्छेलाल द्वारा विभाग को धोखा देकर नौकरी प्राप्त करने के प्रकरण मे अभी तक उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यो दर्ज नही करायी गयी।

3:- किसी व्यक्ति के विरुद्ध जाँच की कोई समय सीमा निर्धारित होती है कि नही । स्पष्ट करने का कष्ट करे।

4:- अच्छेलाल के विरुद्ध द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज दाखिल करके नौकरी प्राप्त करने के प्रकरण मे निदेशक महोदय, द्वारा कोई ठोस कार्यवाही क्यो नही की गयी इसके लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त सूचना समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करे।

:- सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक पोस्टल आर्डर सं॰ 33एफ॰ 672252, संलग्न है ।

प्रार्थी Rajeev Dubey

राजीव दूबे पुत्र श्रीध्यानचन्द्र दूबे
ग्राम - गोपीनाथपुर पो॰बरुआ उत्तरी,
तह॰ लम्भुआ जिला- सुलतानपुर
दि॰04/06/18 ई॰

फाइल संख्या:- 25(52)/2015/RTI


# राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

एक आई0एस0ओ0 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(भारत सरकार)

दूरभाष : (0512) 2570541, 2570543

फैक्स : (0512) 2570247


कानपुर, दि0: 06.07.2016

जारी
संख्या ...
दिनांक ...

सेवा में,

**श्री राजीव दुबे पुत्र श्री ध्यानचंद्र दुबे,**
ग्राम–गोपीनाथपुर।
पो0–बरूआ उत्तरी,
जनपद–सुल्तानपुर (उ0 प्र)

**विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के संदर्भ में।**

**महोदय,**

आपके द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 04.06.2016 को मांगी गयी सूचना निम्नवत् है:–

1. आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न बिन्दु सं0 1, 2 एवं 4 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जॉच कर रहे सक्षम अधिकारी का यह कर्तब्य नही होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करें जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता होगी।

2. इसी प्रकार बिन्दु सं0 3 के संदर्भ में यह सूचित किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध जॉच की समय सीमा का निर्धारण जॉच कर रही समिति द्वारा नही किया जाता है। जॉच अन्य चीजों के अलावा प्रिन्सिपल ऑफ नेयूरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त) पर आधारित रहता है, साधारणतयः जॉच अधिकारी को नियुक्ति के आदेश प्राप्ति के 06 माह के अन्दर रिपोर्ट देनी होती है एवं समय–सीमा के विलम्ब की स्थिति में वह अनुशासनिक प्राधिकारी को कारण बताना होता है।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अनुसार दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त मांगी गई जानकारी से संतुष्ट नही है तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते है:–

**श्री नरेंद्र मोहन,**
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान,
भारत सरकार, उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,
कानपुर–208017

भवदीय

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी